फर्द अहकाम

रामकरण वगै0 बनाम रामूलाल मीना वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या 229/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01.08.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया । रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बहस प्रार्थी प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व मूल वाद संख्या 36/2024 बउनवानी रामूलाल बनाम गोपाल वगैरह मे संयोजित प्रतिवादी संख्या 2 रामकरण दावा दायरी दिवस से पूर्व दिनांक 27.05.2019 को फौत हो चुका था, मृतक प्रतिवादी संख्या 2 रामकरण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर मिथ्या व झूठे वादहेतुक के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री दिनांक 17.05.2024 पारित फरमाई जाकर मृत व्यक्ति को पाबन्द कर दिया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री सर्वथा गलत, गैरकानूनी व विधि विरुद्ध है जो प्रारम्भ से शुन्य व अवैध है इसलिये उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावे। बहस वकील प्रार्थी पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि न्यायालय द्वारा जारी डिक्री दिनांक 17.05.2024 में प्रतिवादीगण को वाके ग्राम गोविन्दुपरा पटवार हल्का शिकारपुरा तह0 सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 636, 637, 262, 264, 265, 267, 268 पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि उक्त खसरा नम्बरान् पर किसी प्रकार का निर्माण आदि नही करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 636, 637 के खातेदार काश्तकार अप्रार्थी/वादीगण है तथा खसरा नम्बर 262, 264, 265, 268 के प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 267, 266, 266/993 पर वर्तमान में रास्ता संचालित है। अप्रार्थी/वादीगण खसरा नम्बर 636, 637 पर ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय/डिक्री दिनांक 17.05.2024 उनवानी रामूलाल बनाम गोपाल में आंशिक संशोधन किया जाता है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण अपनी भूमि आराजी खसरा नम्बर 267, 264, 265, 268 का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार सांगानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करे। सीमाज्ञान पश्चात् प्रार्थी/प्रतिवादीगण अपनी सीमा में नियमानुसार निर्माण करने हेतु स्वतंत्र रहेगें एवं प्रार्थी/प्रतिवादीगण, अप्रार्थी/[illegible] नही दे तथा रोड पर किसी प्रकार का निर्माण आदि [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2024.09.06 16:09:25 IST Reason: SelfAttested [illegible] अधिकारी जयपुर [illegible]तीय (सांगानेर)	